बनाम .....

छीतर उर्फ छीतरमल — नानूराम

किस्म मुकदमा ..... मु. नं0 ..... 8 ..... वर्ष 2018

225

दिनांक	आज्ञा पत्र	
25.1.2018	अपील दर्ज रजिस्टर हो । मियाद का बिन्दू रिजर्व रहेगा ।स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलान्ट को सुना गया । वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत में रेस्पोडेन्ट संख्या-। नानूराम ने अदालत मातहत प्रार्थना पत्र धारा-212 राज0 काश्तकारी अधिनियम का गलत आधारो पर पेश किया है ।आराजी ख0नं0 1053 रकबा 0.1300 हैक्टर एवं ख0नं0 1049/1 रकबा 0.3000 हैक्टर में रेस्पो0 को कोई लेना देना नहीं है। अपील के साथ मैने जमाबन्दी पेश की है। अदालत मातहत ने बिना राजस्व रेकार्ड को अवलोकन किये ही केवल कहने मात्र से ही मुझे एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार को स्थगन आदेश से पाबन्द करने का आदेश विधि विरूद्ध पारित कर दिया । इसके बाद जब एकपक्षीय आदेश 5-10-17 को पारित कर दिया तो अदालत मातहत को इस आदेश को 30 दिन में अन्तिम रूप से निर्णित करना चाहिये था किन्तु अदालत मातहत ने इस आदेश को बिना किसी कारण के आगे से आगे बढाया जा रहा है ।विवादित आराजी का अपीलान्ट रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसके विरूद्ध पारित अन्तरिम आदेश को स्थगित किया जावे । बहस बगौर समाहत की गई । प्रार्थना पत्र एवं राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी का अवलोकन किया गया । जमाबन्दी सं0- 2070 से 2073 में अन्य खातेदारों के साथ रेस्पोडेन्ट सं0- नानूराम 0.15 हैक्टर का सहखातेदार दर्ज है ।ख0नं0 1053 एवं 1049/1 में तो नानूराम का कोई हिस्सा नहीं है इन दोनो खसरा नम्बरों पर स्थगन आदेश पारित कर एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार को विधि के विपरित पाबन्द	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	किया गया है ।खसरा नं0 1052 में नानूराम केवल सहखातेदार है ।एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार को पाबन्द नहीं करवा सकता क्योंकि सहखातेदार का तो प्रत्येक इंच पर कब्जा माना गया है ।अदालत मातहत को अपने एकपक्षीय आदेश को 30 दिन में निर्णित करना चाहिये था किन्तु अदालत मातहत ने इस एकपक्षीय आदेश को बिना किसी कारण के आगे की पेशी तक बढाया है।जिसको हम उचित नहीं मानते है अतः अपीलान्ट की अपील को इसी स्तर पर स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं । अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दांतारामगढ का निर्णय दि0 5-10-2017 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुये प्रार्थना पत्र का निस्तारण 30 दिन मे पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत मे नियत पेशी पर उपस्थित होवे । निर्णय सुनाया गया । 25/1/18 (अवसर लाल मेहरडा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	